कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल 462004

भोपाल, दिनांक 16/5/2018

क्रमांक– 983 / 225 / आउशि / बजट / 2018

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश

विषय– योजना कमांक 6990 छात्र कल्याण निधि योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए बजट आबंटन संबंधी।

उपरोक्त विषय में ज्ञात हो कि योजना क्रमांक 6990 छात्र कल्याण निधि योजना अन्तर्गत महाविद्यालयों को विगत वर्षो में समय–समय पर उनकी मांग के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध बजट के आधार पर आबंटन जारी किया गया है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए भी उक्त योजना में बजट प्रावधान है। अतः जिन शासकीय महाविद्यालयों को योजना अन्तर्गत विद्यार्थियों के लिए सामग्री की आवश्यकता है वह न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार अधिकतम राशि रूपये 50,000/– तक निम्नलिखत प्रारूप में प्रस्ताव एक सप्ताह में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें :–

प्रारूप

महावि. का नाम .... कुल छात्र संख्या ....सामान्य...............एस.टी.................एस.सी........

क.	सामग्री का नाम	महावि. में वर्तमान में उपलब्ध सामग्री की संख्या	अतिरिक्त आवश्यकता (संख्या)	दर	कुल राशि

– उक्त योजना अन्तर्गत यदि गतवर्ष आंबटन प्राप्त हुआ है तो प्रस्ताव नहीं भेजें। यदि विशेष आवश्यकता है तो कारण स्पष्ट करते हुए न्यूनतम आवश्यकता अनुसार ही प्रस्ताव भेजें।
– कृपया योजना के उद्देश्य अनुसार विद्यार्थियों हेतु आवश्यक सामग्री के ही प्रस्ताव भेजें।
– उपरोक्त सामग्री/प्रस्ताव के संबंध में आवश्यता का औचित्य तथा कय समिति की अनुशंसा एवं जहां से सामग्री कय की जाना है उसकी दर के साथ प्रस्ताव भेजें।
– उपरोक्तानुसार प्रस्ताव प्राचार्य के हस्ताक्षरयुक्त पत्र बजट शाखा के ई–मेल **budgethedu@mp.gov.in** मेल करें एवं हार्ड कॉपी उपलब्ध करायें।
– प्रस्ताव पूर्ण औचित्य के साथ स्पष्ट होना चाहिए। अपूर्ण एवं अस्पष्ट तथा समयावधि में प्राप्त नहीं होने वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जावेगा।

"आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश